संख्या--1505 / 18–2–2012–176(ल0उ0) / 2012

प्रेषक

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
उद्यमिता विकास संस्थान,
सरोजिनी नगर, लखनऊ ।

लघु उद्योग अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 29 नवम्बर ~~अक्टूबर~~ 2012

विषयः–उद्यमिता विकास संस्थान को राज्य स्तरीय उद्यमिता एवं मानव विकास उच्च संस्थान के रूप में विकसित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति–2012 के अध्यांय–6 बिन्दु संख्या–6.3 निम्नवत हैः–

' उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ को राज्यस्तरीय उद्यमिता तथा मानव संसाधन विकास उच्च संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा तथा औद्योगिक विकास से संबंधित अधिकारियों के कौशल उन्नयन, क्षमता विकास के निरन्तर कार्यक्रम कराये जायेगे तथा देश के अन्य इन्स्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से नियमित प्रशिक्षण, फैकेल्टी आउटसोर्सिग आदि कराये जायेगें।'

2– उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त नीति के अनुपालन में उद्यमिता विकास संस्थान को राज्य स्तरीय उद्यमिता तथा मानव संसाधन विकास उच्च संस्थान के रूप में विकसित करने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय भार का आगणन करते हुये आगणन प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग को इस अनुरोध के साथ कि कृपया वे संस्थान से आगणन प्रस्ताव प्राप्त करते हुए शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विजयकान्त दुबे)
विशेष सचिव।